रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03032025-261426
CG-DL-W-03032025-261426

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, फरवरी 23—मार्च 01, 2025, शनिवार/ फाल्गुन 4—फाल्गुन 10, 1946
No. 05] NEW DELHI, FEBRUARY 23— MARCH 01, 2025, SATURDAY/ PHALGUNA 4– PHALGUNA 10, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 19.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A-11018/01/2020-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण में सर्वेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन. - सर्वेक्षक के पदों के साथ विलयन से पूर्व सर्वेक्षक के पद और सर्वेक्षण सहायक के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त समझा जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सर्वेक्षक।	1020* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-	चयन।

	सकता है।	अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	रु.)।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से इंजीनियरी (सिविल या भू-सूचना विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी) में बैचलर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से बी. एस. सी. (गणित या इलेक्ट्रॉनिकी या कंप्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी)। **टिप्पण 1.-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के	नहीं।	सीधे भर्ती और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) 95% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती द्वारा; और (ii) 5% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-रु.) में ऐसे प्लेन टेबलर श्रेणी 2 जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण -अध्यक्ष; 2. उप महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण -सदस्य; 3. भारतीय सर्वेक्षण से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; 4. अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण -अध्यक्ष; 2. भारत के महासर्वेक्षक द्वारा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

के ऐसे अधिकारियों में से,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सर्वेक्षण करने और प्रतिचित्रण और भू-स्थानिक डोमेन के क्षेत्र में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की है; (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	नामनिर्दिष्ट अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; 3. भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक (चक्रानुक्रम पर) -सदस्य; 4. सहायक महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण -सदस्य।	

[फा.सं. एसएम/02/15/2017]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 20th February, 2025

G.S.R. 24.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Surveyor in Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India, Surveyor (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial constitution.- The incumbents holding the post of Surveyor and the post of Survey Assistant prior to their merger with the posts of Surveyor, on regular basis, shall be deemed to have been appointed to the post of Surveyor as on the date of commencement of these rules.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Surveyor.	1020* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with	(i) Bachelor degree in Engineering (Civil or Geo-Informatics or Computer Science or Information Technology or Electronics) from a recognised university or recognised institution; or (ii) B.Sc. (Maths or Electronics or Computer Science or Information	No.	Two years for direct recruits and promotees. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two	(i) Ninety-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; and (ii) Five per cent. by promotion,

the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Technology) from a recognised university or recognised institution. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion : Plane Tabler Grade II in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years of regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks of pre-promotional training in the relevant field as prescribed by Central Government. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research institutions,-	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Surveyor General, Survey of India - Chairman; 2. Deputy Surveyor General, Survey of India - Member; 3. One Group 'A' officer from Survey of India - Member; 4. One Group 'A' officer from other Department - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department in the field of Surveying and Mapping and Geospatial domain. (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	1. Deputy Surveyor General, Survey of India -Chairman; 2. One Group 'A' officer from other Department nominated by the Surveyor General of India -Member; 3. Director (on rotation) to be nominated by the Surveyor General of India -Member; 4. Assistant Surveyor General, Survey of India -Member.	

[F. No. SM/02/15/2017]

ANUPAMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.